न्यायालय उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर
मुकदमा नम्बर 110/2019
निर्णय दिनांक: 15-3-2021

भंवरलाल पुत्र हुकमाराम जाति जाट निवासी बाना तहसील श्रीडूंगरगढ जिला बीकानेर

–वादी–

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार (राजस्व) श्रीडूंगरगढ
2. आरिफ पुत्र जाफर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ
3. इकबाल पुत्र जाफर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ
4. कुरडा पुत्र जाफर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ
5. मुबारिक पुत्र जाफर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ
6. शकूर पुत्र जाफर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ
7. सुभान पुत्र जाफर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ
8. जन्नत पुत्री जाफर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ
9. रूखसाना पुत्री जाफर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ
10. रशीदा पुत्री जाफर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ
11. मुखिया पत्नि जाफर
12. सुबेदौलत पत्नि अख्तर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ
13. तब्बू पुत्री अख्तर जाति फकीर निवासी श्रीडूंगरगढ

–प्रतिवादी–

उपस्थितिः–
1. श्री राजूराम बाना अभिभाषक वादी
2. श्री पुखराज तेजी अभिभाषक प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 5 ता 7
3. प्रतिवादी संख्या 4 व 8 ता 13 एकतरफा
4. पैरोकारराज स्टेट की तरफ से

<u>दावा अर्न्तगत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम एवं धारा 136 एल.आर.एक्ट 1956</u>

यह वाद भंवरलाल ने जरिये अधिवक्ता के मार्फत पेश कर निवेदन किया है कि वादी के नाम से खेत खसरा नम्बर 493/115 तादादी 0.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 495/116 तादादी 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497/116 तादादी 0.8600 हैक्टेयर रोही सालासर में स्थित है उक्त खेत वादी ने जरिये विक्रय पत्र क्रय किये थे। वादगत खेत पुराने खसरा नम्बर 65/1 तादादी 27 बीघा 16 बिस्वा एवं खसरा नम्बर 69 तादादी 14 बीघा 14 बिस्वा कुल 42 बीघा 10 बिस्वा के विभाजन से टुकडे होकर कायम हुए है विभाजन के नामान्तरण संख्या 687 दिनांक 25.03.2006 के सलग्न नक्शे में वादगत खेतो की तरमीम मौके कब्जे के अनुसार ही दशायी है लेकिन वर्तमान राजस्व नक्शो में तरमीम विभाजन एवं मोके कब्जे तथा विक्रयपत्रो के बिल्कुल विपरीत है। वादगत खेतो का कब्जा काश्त वादी ने विक्रय पत्र में दर्शाये अनुसार ही मौके पर कायम है उसी अनुसार मौके पर कब्जा काश्त कायम है एवं सीमा कायम कर रखी है लेकिन राजस्व कर्मचारियो द्वारा वादी के खेतो की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत कर दी। वादगत खेत खसरा नम्बर 493/115 तादादी 0.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 495/116 तादादी 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497/116 तादादी 0.8600 हैक्टेयर रोही सालासर विभाजन के नामान्तरण संख्या 687 दिनांक 25.03.2006 से विभाजन के अनुसार ही वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 ता 13 का कब्जा काश्त कायम है जबकि वर्तमान राजस्व नक्शा मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो तथा विभाजन के बिल्कुल विपरीत है। जिसको वादी मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रों एवं विभाजन के अनुसार करवाने का अधिकारी है। वादी ने दिनांक 05.11.2019 को राजस्व रिकार्ड की नकले निकलवाई तो पता चला की वादी के खेत की तरमीम मौके कब्जे के विपरीत दर्ज है जिसको वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से मौके कब्जे के अनुसार करवाने के लिए निवेदन किया तो प्रतिवादी ने रिकार्ड सही करने से इनकार कर दिया प्रतिवादी की इनकारी से वादी को वाद हेतु हासिल है। वादी के खरीद के समय वादगत खेतों की सीमाओ की तरमीम नही थी। विक्रय पत्रो मे दर्ज आसे पासे एवं तादादी के अनुसार ही राजस्व रिकार्ड एवं राजस्व नक्शे में दर्ज होना था लेकिन नवीन राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे के विपरीत है जिसको राजस्व नक्शो में मौके कब्जे काश्त एवं विक्रय पत्रो के अनुसार करवाना जरूरी हो गया है। वादी के खेतों के राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के विपरीत होने से वादी को अपूरणीय क्षति कारित हो रही है। वादी की भूमि रोही सालासर में अवस्थित है जो [illegible] के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार में है। दावा जानकारी के अन्दर मियाद एंव पूर्ण न्याय शुल्क पर प्रस्तुत है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:20 IST
Reason: SelfAttested

अतः वादी का दावा स्वीकार किया जाकर निम्न [illegible] से आदेश फरमानें [illegible] निवेदन किया गया है:–

(क)कि रोही सालासर के वादगत खेत खसरा नम्बर 493/115 तादादी 0.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 495/116 तादादी 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497/116 तादादी 0.8600 हैक्टेयर की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के अनुसार घोषित की जावें।

उपखण्ड अधिकारी श्रीडूंगरगढ (बीकानेर)

(ख) कि प्रतिवादी संख्या 1 को आदेशित किया जावे कि रोही सालासर के वाकगत खेत खसरा नम्बर 493/115 तादादी 0.9400 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 495/116 तादादी 0.5300 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 497/116 तादादी 0.8600 हैक्टेयर की राजस्व नक्शे में तरमीम मौके कब्जे एवं विक्रय पत्रो के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त करें।

(ग)कि अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष जो हितकर वादी हो अथवा दौराने दावा हितकर वादी हो जावें वह भी आज्ञाप्त फरमाया जावें।

वादी के उक्त वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 2 ता 3, 5 ता 7 की तरफ से अधिवक्ता पुखराज तेजी उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया गया परन्तु जवाब पेश करनें हेतु पर्याप्त अवसर दिये जानें के बावजूद जवाब पेश नही किये जानें पर जवाब का अवसर बन्द किया गया एवं प्रतिवादी संख्या 4 व 8 ता 13 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अम्ल में लाई गई । प्रतिवाद संसख्या 1 की तरफ से पैरोकार राज ने जवाब पेश किया कि खसरा नम्बर 493/115 तादादी 0.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बरा495/116 तादादी 0.53 खसरा नम्बर 497/116 तादादी 10.86 हैक्टेयर रोही सालासर में सेवन से अक्स में गलती हुई है, जिसको हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तावित अक्सानुसार शुद्ध किया जाना उचित है। वाद का अवलोकन किया गया। स्टेट को वादी का वाद स्वीकार करने में कोई आपति नहीं होने के कारण वादी का वाद स्वीकार योग्य होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

निर्णय

खेत खसरा नम्बर 493/115 तादादी 0.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बरा495/116 तादादी 0.53 खसरा नम्बर 497/116 तादादी 10.86 हैक्टेयर रोही सालासर में राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज कर राजस्व रिकार्ड दुरूस्त किये जाने का आदेश तहसीलदार श्रीडूंगरगढ को दिये जाते है। तहसीलदार श्रीडूगरगढ़ उपरोक्तानुसार राजस्व नक्शे में तरमीम कर राजस्व रिकार्ड में कब्जा काश्त एवं मौके के अनुसार दर्ज करें। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18.3.2021 को सरे इजलास मेर द्वारा टंकित करवाया जाकर मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया पत्रावली बाद निर्णय दायरा रजिस्टर में से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय सुनाया गया।

(दिव्या)
उपखण्ड अधिकारी
श्रीडूँगरगढ

Signature Not Verified

Digitally signed by Divya
Date: 2022.09.16 17:09:20 IST
Reason: SelfAttested